>

Title : Need to include some backward classes belonging to the state of Jharkhand in list of National Backward Caste Commission.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): उपाध्यक्ष जी, हाल में राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग द्वारा झारखंड में ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जातियों का सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें कई पिछड़ी जातियों को केन्द्र सरकार की जातियों की सूची में से निकाल दिया गया है। इस सम्बन्ध में 18 अगस्त, 2010 को भारत का राजपत्र प्रकाशित हुआ, तो उसमें भी इन जातियों को हटाने का गजट प्रकाशित हो गया। अब केन्द्र सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर इन जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि झारखंड सरकार के गजट में इन जातियों का नाम आज भी दर्ज है। इस सम्बन्ध में 11.5.2010 को झारखंड सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई है। आज की

तारीख में ये पिछड़ी जातियां केन्द्र की ओबीसी की लिस्ट में नहीं आएंगी। इन जातियों के नाम इस प्रकार हैं

- अगड़िया, बेलदार, भर, भास्कर, भट्ट, भाट, चीक मुस्लिम, धनकर, कलवार, कलाल, इराक्यूई, कउरा, कवार, केवट, केउट, कुमारभाग पहदिया, परया, सुढ़ी, हलवाई, रोमियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, पटवा, सिंदुरिया, बनिया, माहुरी-वैश्य, अवध बनिया, अग्रहरि-वैश्य।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह पर केन्द्रीय मंत्री बैठे हुए हैं जो स्वयं झारखंड से आते हैं। आज की तारीख में वहां की जनता में काफी आक्रोश है, क्योंकि जब बिहार से झारखंड अलग राज्य बना तो ये जातियां ओबीसी लिस्ट में थीं और अब इन्हें अलग कर दिया गया है। हमारी केन्द्र सरकार से मांग है कि इन जातियों को ओबीसी की लिस्ट में पूर्व की तरह यथावत रखा जाए, जिससे उन्हें भी केन्द्र सरकार की नौकरियों और अन्य योजनाओं में आरक्षण का लाभ मिल सके।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष जी, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा यहां उठाना चाहता हूं। जो सांसद शून्य काल में अपनी बात कहते हैं, कुछेक का तो सरकार की तरफ से जवाब आ जाता है, क्योंकि अन्य सदस्य भी उनका समर्थन करते हैं और सरकार से जवाब की मांग करते हैं, लेकिन जिन सांसदों के लोक महत्व के विषय पर अन्य सांसदों द्वारा मांग नहीं की जाती, उसका जवाब नहीं आता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अर्जेंट मैटर्स जो सांसद उठाते हैं, सभी का जवाब आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आप जो कहना चाहते हैं, वह मंत्री जी से कहें और केवल विषय पर बोलें।

चौधरी लाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे कस्टोडियन हैं। मेरा यह कहना है कि अगर कोई माननीय सदस्य जोर देकर अपनी बात शून्य काल में उठाता है तो उसका जवाब मिल जाता है, बाकी का नहीं मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय: शून्य काल में जवाब देना या न देना सरकार के ऊपर निर्भर है। अब आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान) मेरी विनती है कि आप इस विषय पर हस्तक्षेप करें।.

..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का भाषण अब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *